

पत्रांक/आ0प्र0

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

पूर्णिमाँ, दिनांक-.....

विषय :- वर्ष-2015 के संभावित बाढ़ को देखते हुए बाढ़ साहाय्य संबंधी अल्पकालीन निविदा संख्या-01/2015-16 का सूचना प्रकाशित कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1134/आ0प्र0, दिनांक-27.03.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष-2015 के संभावित बाढ़ को देखते हुए राहत सामग्रियों के दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिये बाढ़ साहाय्य संबंधी अल्पकालीन निविदा संख्या-01/2015-16 का सूचना की 05 प्रतियाँ एवं सी0डी0 सहित दो प्रमुख सामाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त अल्पकालीन निविदा को 02 प्रमुख सामाचार पत्रों में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

६०१-

जिला पदाधिकारी

पूर्णिमाँ ।

ज्ञापांक :-/आ0प्र0, पूर्णिमाँ, दिनांक :-
972 21/7/15

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचल पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णिमाँ जिला को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, पूर्णिमाँ/नगर पंचायत, कसबा एवं बनमनखी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- नजरत उप समाहर्ता, पूर्णिमाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिमाँ को विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित एवं निदेशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से दो दैनिक प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, साथही प्रकाशित निविदा का पेपर कटिंग जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, पूर्णिमाँ को ससमय उपलब्ध करावें ।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), पूर्णियाँ/आई0टी0 मैनेजर, पूर्णियाँ को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि निविदा की विस्तृत जानकारी हेतु जिला के वेबसाइट पर भी प्रकाशित करावें।

Rajesh
21/7/15
जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ।

समाहरणालय, पूर्णियाँ

126

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या – 01/2015-16

वर्ष-2015 में संभावित बाढ़ के समय प्राभावित परिवारों एवं विस्थापित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अधोलिखित वस्तुओं की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होगी, तदनुसार निम्न सामग्रियों, जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार अंकित है, के दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिये इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से एतद् द्वारा सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

❖ निविदादाताओं को मो0-10,000.00 (दस हजार) रुपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला नजारत शाखा, पूर्णियाँ जमा करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के नाम से देय होगा। 10,000.00 (दस हजार) रूपया नगद भी स्वीकार किया जायेगा, जिसका नाजीर रसीद देय होगा। निविदा प्राप्ति की तिथि 14/8/2015 के अपराह्न 02 बजे तक होगी प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 03 बजे अधोहस्ताक्षरों के वेश्म में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी, जिसमें स्वयं निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सामग्री का विवरण

क्र0	सामग्री का नाम	साईज	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	नाव परिचालन संबंधी लॉगबुक	-	दर प्रति सैकड़ा
2	आटा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
3	चुड़ा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
4	चना देशी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
5	गुड़	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
6	मूठी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
7	दाल (1. अरहर 2. चना 3. मूंग 4. मसूर)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
8	सरसों का तेल	उत्तम किस्म का	दर प्रति टिन (15 किलोग्राम)
9	मसाला-जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम अलग-अलग में अंकित होगा।
10	आलू+प्याज	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
11	चना का सत्तु	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
12	पावरोटी	200 ग्राम का पैकेट	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
13	आयोडाईज्ड नमक	1 किलोग्राम का पैकेट	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
14	चीनी	मोटा	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
15	दिया सलाई मंझोला साईज	उत्तम किस्म का	दर प्रति पैकेट (12 की संख्या में)
16	मोमबत्ती (8.5" लम्बा 2.5" गोलाई)	उत्तम किस्म का	दर प्रति पैकेट (06 की संख्या में)
17	मार्किन कपड़ा का थैला	लम्बाई 2 फीट X चौड़ाई 1.5 फीट वाला	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगी
18	प्लास्टिक थैला	5 Kg एवं 2.5 Kg का (250 माईक्रोन का)	दर प्रति किलो में अंकित होगी
19	जलावन की लकड़ी (सूखी हुई)	-	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
20	खाना पकाने का सभी प्रकार का बर्तन भाड़े पर	-	दर (प्रति दिन)
21	खाना बनाने का गैस भट्टी/चुल्हा (भाड़े पर)	-	दर (प्रति दिन)
22	जेनरेटर (भाड़े पर)	-	दर (प्रति दिन)
23	सभी प्रकार के जेनरेटर से चलनेवाले	मरकरी, बल्ब, सी0एफ0एल0 बल्ब एवं हैलोजेन, इत्यादि	दर (प्रति दिन)

	लाईट (भाड़े पर)		
24	वाटरपूफ टैंट/पडाल (भाड़े पर)	तिरपाल, सूती एवं प्लास्टिक इत्यादि	दर (प्रति दिन)
25	घोती	—	दर (प्रति नग)
26	साड़ी	—	दर (प्रति नग)
27	गंजी	—	दर (प्रति नग)
28	लूगी	—	दर (प्रति नग)
29	गमछा	—	दर (प्रति नग)
30	दरी (सभी साईज में)	—	दर (प्रति नग)
31	चटाई (सभी साईज में)	—	दर (प्रति नग)
32	थाली (स्टील)	—	दर (प्रति नग)
33	कटोरा (स्टील)	—	दर (प्रति नग)
34	ग्लास (स्टील)	—	दर (प्रति नग)

MS

16/11/15
प्रस

प्रस्ताव
प्रस्ताव

Dhanraj
16-7-15
अपर समा

Rajesh
20/7/15
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

निविदा की आवश्यक शर्तें :-

धनंजय ठाकुर
अपर समाहता, पूर्णियाँ

1. क्र0-01 से 34 तक के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील/मुहरबन्द लिफाफे में ली जायेगी।
2. तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर/TIN नम्बर/अद्यतन आयकर भुगतान संबंधी प्रमाण-पत्र/दूकान की अनुज्ञप्ति/अनुभव प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
4. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. अनुभव प्रमाण-पत्र वाले निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाएगी।
6. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
7. निविदा निर्धारण के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष सामग्रियों के नमूने के साथ उपस्थित रहेंगे।
8. सामग्रियों की आपूर्ति पहले मुख्यालय में करनी होगी तथा आपूरित सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता के जाँचोपरान्त आवश्यकता अनुसार अंचलों में आपूर्ति करनी होगी। इसके लिये आपूर्तिकर्ता को परिवहन भत्ता देय नहीं होगी।
9. निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता/प्राधिकृत प्रतिनिधि सामग्रियों के नमूने के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। बिना नमूने वाले निविदादाताओं की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। स्वीकृत निविदादाताओं को एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि आपातकालीन परिस्थिति में अल्पकालीन सूचना पर स्वीकृत दर के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देगे, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके विरुद्ध कानून की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।
10. संभावित बाढ़ की स्थिति में ही आवश्यकतानुसार सामग्रियों की आपूर्ति ली जायेगी।
11. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
12. स्वीकृत किये गये साहाय्य सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने एवं आपूर्ति की गई साहाय्य सामग्रियों के गुणवत्ता में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

15. निविदा संबंधी कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिये आपदा प्रबंधन प्रशाखा, पूर्णियाँ जिला से सम्पर्क कर सकते है एवं विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट dm.purnea.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
16. आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरुद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार वैट/आयकर की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।
17. आपूर्ति सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता सत्यापन के पश्चात् अनुमान्य बिक्रीकर, आयकर एवं अन्य करों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

16/7/15
प्र.सं.

16/7/15
सुबल पट्टा

16-7-15
अपर समाहर्ता,
धनंजय ठाकुर
अपर समाहर्ता, पूर्णियाँ

16/7/15
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।